राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक: 21.09.2023

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2022 एवं इसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने संबंधी प्रकरण में कार्मिक (क–2/नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2021–22 की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 के अनुसार उक्त पदोन्नतियां निम्नानुसार संशोधित की जाती है:–

<u>वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2021–22</u>

श्री प्रवीण कुमार मीणा, अजजा का वर्ष 2021–22 में रिक्ति दिनांक 01.04.2021 के प्रति वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर चयन किया जाता है। श्री प्रवीण कुमार मीणा, अजजा की वरिष्ठता वर्ष 2021–22 में सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्रीमती वन्दना मीणा, अजजा के नीचे निर्धारित की जाती है। श्री प्रवीण कुमार मीणा, अजजा का सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15 में दिनांक 01.04.2021 की रिक्ति के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

श्री प्रवीण कुमार मीणा, अजजा हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के द्वारा पदोन्नति की तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

श्री प्रवीण कुमार मीणा, अजजा अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव